न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 31/2019

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् सुरेन्द्र भारती प्रर्वतन निरीक्षक, किशनगढ

.....*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री मदनलाल शर्मा (मुख्य व्यवस्थापक) कय विकय सहकारी समिति लि0, किशनगढ।
2. श्री सुरेश शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर लाल शर्मा, भोपां की बाडी, सरगांव, किशनगढ ।
3. रफीक अहमद पुत्र श्री नूर मोहम्मद, राजस्थान पब्लिक स्कूल के पास, वार्ड नं0 04 किशनगढ।

.....*अप्रार्थीगण*

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित :- 1.श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रर्वतन अधिकारी — पैरोकार सरकार
2.श्री अनिल शर्मा, ज्ञानचन्द साहू — अभिभाषक अप्रार्थीगण

आदेश

दिनांक 06.09.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि राशन डीलरों की कय विकय सहकारी समिति किशनगढ के विरूद्ध लगातार प्राप्त शिकायतों के आधार पर दिनांक 26.02.2019 प्रार्थी द्वारा कय विकय सहाकरी समिति किशनगढ के गोदाम की जांच की गई। मौके पर सुरेश शर्मा सेल्स मैन की उपस्थिति में गोदाम में रखे गैहूँ के भौतिक सत्यापन पर स्टॉक रजिस्टर अनुसार गोदाम में 1217.24 क्विन्टल (अनुमानित 2435 कट्टे) के स्थान पर मौके पर 2080 कट्टे पाये गये। लगभग 355 कट्टे कम पाये गये। गोदाम में गैहूँ की ग्रेडिग मशीन लगी हुई पाई गई जिसकी जानकारी रसद विभाग को नहीं थी। गोदाम में एम.डी.एम. का गैहूँ नहीं पाये जाने पर पूछताछ में अप्रार्थी संख्या 02 ने एम.डी.एम. के गैहूँ का गोदाम अन्यत्र स्थापित किया जाना अवगत कराया जिसकी जानकारी रसद विभाग को नहीं दी गई तथा नये गोदाम का नक्शा भी प्रमाणित नहीं करवाया गया। गैहूँ कम होने बाबत पूछताछ में उपस्थित अप्रार्थी सं0 02 ने बताया कि गोदाम से 108 कट्टे (53.94 क्वि0 600 ग्राम) गैहूँ के राशन डीलर रफीक अहमद (पोस कोड 19970) को भेजे गये। दिनांक 26.02.2019 को ही प्रार्थी द्वारा राशन डीलर रफीक अहमद की दुकान के निरीक्षण पर स्टॉक रजिस्टर व मशीन के रिकार्ड से 53.94 क्वि0 600 ग्राम (108 कट्टे) गेहूँ अधिक पाया गया। ट्रक चालान चैक करने 53.94 क्विन्टल 600 ग्राम का चालान एक अन्य राशन डीलर श्री विजय कुमार जैन (पोस कोड 22354) के नाम से बना हुआ पाया गया। नियमानुसार यह गैहूँ विजयकुमार जैन की दुकान पर खाली होना चाहिए था। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा राजहित में उक्त 108 कट्टो में बन्द 53.94 क्विन्टल 600 ग्राम गैहूँ को जब्त कर नजदीकी राशन डीलर श्री नाथूलाल प्रजापति (पोस कोड 20902) वार्ड नं0 02 किशनगढ को अग्रिम आदेश तक सुपुर्दगी में दिया गया। वर्तमान में खाद्य विभाग के आदेशानुसार गैहूँ का वितरण सप्लाई चैन मेनेजमेन्ट के द्वारा ही होना चाहिए जिसके तहत कय विकय सहकारी समिति द्वारा एफ.सी.आई. से गैहूँ का उठाव कर सीधा राशन डीलरों के यहॉ वितरित किया जाता है। कय विकय सहकारी समिति को जिला रसद कार्यालय द्वारा हर माह उचित मूल्य दुकानदार आबंटन सूचि प्रेषित की जाती है तद्नुसार ही गैहूँ राशन डीलरों को भेजना होता है। कय विकय सहकारी समिति किशनगढ द्वारा गैहूँ का वितरण रसद विभाग द्वारा

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रेषित आवंटन सूचि से न करके अपनी मनमर्जी से वितरण किया गया तथा कुछ राशन डीलर के यहॉ अगले माह का गैहूँ एंडवास में भेज दिया गया, जो अवैधानिक व नियमविरूद्ध कृत्य है तथा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5 व 11 का स्पष्ट उल्लंघन है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त शुदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गैहूँ 108 कट्टे वजन 53.94 क्वि0 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण जरिय अभिभाषक उपस्थित आये। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया कि राशन डीलरों द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर दिनांक 26.02.2019 को प्रार्थी द्वारा कय विकय सहकारी समिति किशनगढ के गोदाम की जांच की गई। गैहूँ के भौतिक सत्यापन पर स्टॉक रजिस्टर अनुसार गोदाम में लगभग 355 कट्टे कम पाये गये। गोदाम गैहूँ की ग्रेडिग मशीन लगी हुई पाई गई तथा एम.डी.एम. के गैहूँ का स्टॉक दौराने जांच नहीं पाये जाने पर, पूछताछ किये जाने पर गोदाम अन्यत्र स्थापित किये जाने की जानकारी दी गई। नये गोदाम का नक्शा भी प्रमाणित नहीं करवाया गया। गैहूँ कम होने का कारण गोदाम से 108 कट्टे (53.94 क्वि0 600 ग्राम) गैहूँ के राशन डीलर रफीक अहमद (पोस कोड 19970) को भेजे जाने के कथन पर उसी दिनांक 26.02.2019 को प्रार्थी द्वारा राशन डीलर रफीक अहमद की दुकान का निरीक्षण किया गया जिस पर स्टॉक रजिस्टर व मशीन के रिकार्ड से 53.94 क्वि0 600 ग्राम (108 कट्टे) गेहूँ अधिक पाया गया। ट्रक चालान चैक करने 53.94 क्विन्टल 600 ग्राम का चालान एक अन्य राशन डीलर श्री विजय कुमार जैन (पोस कोड 22354) के नाम से बना हुआ पाया गया, तद्नुसार गैहूँ विजयकुमार जैन की दुकान पर खाली होना चाहिए था। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा राजहित में उक्त 108 कट्टो में बन्द 53.94 क्विन्टल 600 ग्राम गैहूँ को जब्त कर नजदीकी राशन डीलर श्री नाथूलाल प्रजापति (पोस कोड 20902) वार्ड नं0 02 किशनगढ को अग्रिम आदेश तक सुपुर्दगी में दिया गया। नियमानुसार गैहूँ का वितरण सप्लाई चैन मेनेजमेन्ट के द्वारा ही होना चाहिए जिसके तहत कय विकय सहकारी समिति द्वारा एफ.सी.आई. से गैहूँ का उठाव कर सीधा राशन डीलरों के यहॉ वितरित किया जाता है। कय विकय सहकारी समिति को जिला रसद कार्यालय द्वारा हर माह उचित मूल्य दुकानदार आवंटन सूचि प्रेषित की जाती है, उसी अनुसार गैहूँ राशन डीलरों को भेजना होता है। कय विकय सहकारी समिति किशनगढ द्वारा गैहूँ का वितरण रसद विभाग द्वारा प्रेषित आवंटन सूचि से न करके अपनी मनमर्जी से वितरण किया गया। कुछ राशन डीलर के यहॉ अगले माह का गैहूँ एंडवास में भेज दिया गया, जो अवैधानिक व नियमविरूद्ध है। उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5 व 11 का स्पष्ट उल्लंघन होकर आावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त शुदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गैहूँ 108 कट्टे वजन 53.94 क्वि0 600 ग्राम को अवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किया जाने के आदेश फरमावें।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपने जवाब कथनो को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि अप्रार्थी0 के विरूद्ध प्रकरण पूर्णतया मिथ्या एवं आधारहीन तथ्यों पर बनाया गया है। अप्रार्थी0 द्वारा नियंत्रित गैहूँ का वितरण रसद विभाग की आवंटन सूचि के विपरीत, मनमर्जी से नहीं किया गया एवं ना ही कोई अवैद्यानिक कृत्य किया गया है। प्रार्थी द्वारा भौतिक सत्यापन सम्पूर्ण कट्टो की तुलाई कर नहीं किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 के खाली कागजों पर हस्ताक्षार करवाकर फर्द एक दिन बाद मनमाने तरीके से तैयार की गई है। ग्रेडिंग मशीन अप्रार्थी के पदस्थापन दिनांक 16.2.2019 से पूर्व की लगी हुई है जो कि पूर्व मैनेजर सुमित्रा चौधरी द्वारा लगाई गई

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

जिसके बिल, कारीगरों व मजदूरों के बिल प्रस्तुत किये गयें है। एम.डी.एम गैहूँ का गोदाम अन्यत्र स्थापित करने की मौखिक स्वीकृति पूर्व मैनेजर सुमित्रा चौधरी द्वारा ली गई थी, पूर्व व्यवस्थापक सुमित्रा चौधरी के मौखिक निर्देश पर ही स्टोर कीपर द्वारा डीलरों को एडवान्स माल भेजकर ग्रेडिंग मशीन हेतु गोदाम खाली किया गया था। एमडीएम गैहूँ का गोदाम वर्तमान में पहले की जगह ही है, वर्तमान में एमडीएम का स्टॉक नहीं है। भविष्य में आवंटित होने पर स्वीकृत गोदाम में ही भण्डारण किया जावेगा। गैहूँ रखने की जगह नहीं होने के कारण रफीक अहमद सहित अन्य डीलरों को गैहूँ अग्रिम भेजा गया था, जिसकी सूचना प्रार्थी निरीक्षक को दे दी गई थी। समिति के गोदाम में पडे गैहूँ का स्टॉक कम नहीं था, वक्त भौतिक सत्यापन, गैहूँ की तुलाई नहीं कर केवल अनुमान के आधार पर प्रकरण अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से बनाया गया है। अतः प्रकरण प्रार्थी अस्वीकार करते हुए जब्त शुदा गैहूँ को अप्रार्थी संख्या 03 रफीक अहमद को सुपुर्द किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया, रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। राशन डीलरों की लगातार शिकायत प्राप्ति पर प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अप्रार्थी समिति की जांच किये जाने पर कई अनियमितताएँ जिसमें मुख्यतः गैहूँ के भौतिक सत्यापन में 355 कट्टे गैहूँ का कम होना, बिना सक्षम अनुमति के ग्रेडिंग मशीन लगाना तथा एम.डी.एम. गैहूँ का गोदाम अन्यत्र स्थापित किया जाना एवं नये गोदाम का नक्शा प्रमाणित नहीं करवाया जाना पाया गया। जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रति माह दी जाने वाली आवंटन सूचि के अनुसार राशन डीलरों को गैहूँ आवंटन (सप्लाई चैन मैनेजमेंट के द्वारा) नहीं कर मनमर्जी से किया जाना भी पाया गया। अप्राथी0 द्वारा बरती गई अनियमितता राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 5 एवं 11 का स्पष्टतया उल्ल्घंन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध भी है। अतः प्रार्थी कां प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त शुदा नियंत्रित मूल्य का गैहूँ 53.94 क्वि0 600 ग्राम को अवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किया जाता हैं। जिला रसद अधिकारी, अजमेर उक्त गैहूँ का नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त रशि राज्य कोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner